छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 834/1997

अपीलार्थी: बहुर सिंह

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

उपस्थित: श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता, अपीलार्थी ।

श्री एन. नाहा रॉय, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी ।

अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(21-9-2012)

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष मामला संख्या 240/96 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 1.4.97 से उत्पन्न हुई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 3(1)(x) के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे छह महीने के कठोर कारावास तथा 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, और व्यतिक्रम की दशा में उसे चार महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 19.12.1995 को राजकुमार सोनवानी (अ.सा.-1) द्वारा एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1) दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 18.12.95 को गुरु घासीदास जयंती की पूर्व संध्या पर गाँव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उक्त कार्यक्रम में अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे 'चमार' कहकर गाली दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर, 19.12.95 को अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3(1)(x) और 3(1)(xiv) के तहत प्राथमिकी (प्रदर्श पी.-2) दर्ज की गई। विवेचना के पश्चात, 29.1.96 को अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अभियोग-पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने 3 साक्षियों का परीक्षण किया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किया गया था , जिसमें

उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता का अभिवाकृ किया तथा प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। इसके अतिरिक्त, अपने प्रकरण के समर्थन में चार बचाव साक्षियों का भी परीक्षण किया गया है।

4. पक्षों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के पैरा एक में जैसा उल्लेखित है वैसा दोषसिद्ध और दंडित किया है।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में विवेचना पी.पी. सिंह द्वारा की गई है और आरोप पत्र भी उन्हीं के द्वारा दाखिल किया गया है, जो संबंधित समय में पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 7 के तहत, विवेचना राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक/पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी, जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का न हो। उनका तर्क है कि जब विवेचना ही दोषपूर्ण है, तो पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है और अभियुक्त/अपीलार्थी केवल इसी आधार पर दोषमुक्त होने का पात्र है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विवेचना अधिकारी पी.पी. सिंह का अभियोजन द्वारा परीक्षण तक नहीं किया गया है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि विवेचना उप-निरीक्षक पी.पी. सिंह द्वारा की गई थी और अभियोग-पत्र भी उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

सबसे पहले वर्तमान प्रकरण के निस्तारण के लिए नियम, 1995 के नियम 7 का संदर्भ आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है:

> "7. विवेचना अधिकारी (1) अधिनियम के तहत किए गए अपराध की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। विवेचना अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक/पुलिस अधीक्षक द्वारा पिछले अनुभव, योग्यता की समझ और न्याय तथा प्रकरण के निहितार्थों को समझने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ताकि न्यूनतम संभव समय में सही दिशा में विवेचना की जा सके।
>
> (2) उप-नियम (1) के तहत नियुक्त विवेचना अधिकारी तीस दिनों के भीतर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विवेचना पूरी करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो तुरंत उस रिपोर्ट को राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक को भेजेगा।
>
> (3) राज्य सरकार के गृह सचिव और समाज कल्याण सचिव, अभियोजन निदेशक, अभियोजन के प्रभारी अधिकारी और पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तिमाही के अंत में विवेचना अधिकारी द्वारा की गई सभी विवेचनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे।"

'टी. हनुमंतु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' के प्रकरण में इसी तरह के प्रश्न पर विचार करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार धारित किया गया है:

"4. यह विवाद में नहीं है कि अपराध की तिथि 27.4.1996 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995, दिनांक 1.4.1995 से लागू हुए। सहायक उप-निरीक्षक अ.सा.-5 ने उन अपराधों की विवेचना की थी जिनके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था और साक्षियों के बयान दर्ज किए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 7 का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। इससे पूर्व एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में विवेचना नियमित विवेचना एजेंसी द्वारा भी की जा रही थी, लेकिन, नियम 7 को पेश किया गया था जिसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को विवेचना करनी होती है। यह नियंत्रण अन्य विवेचना अधिकारियों द्वारा विवेचना के संचालन पर एक विशिष्ट रोक लगाकर पेश किया गया था ताकि बेहतर देखभाल और सावधानी के साथ विवेचना की जा सके, जो सामाजिक मजबूरियों, व्यवस्था और अव्यवस्था से अधिक संबंधित हो और इसलिए, यदि विवेचना किसी उच्च अधिकारी को सौंपी जाती है, तो उसे सुदृढ़ आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भी हो, प्रकरण के इस पहलू के अलावा, विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा सीधे संज्ञान लिया गया था और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 की स्पष्ट भाषा के अनुसार प्रकरण की सुपुर्दगी न होने के कारण पूरा विचारण दूषित हो गया है। किसी भी कोण से देखने पर, अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार, उन्हें अपास्त किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय 'डी. रामलिंग रेड्डी @ डी. बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य', जो Cr.L.J. (1999) 2918 में रिपोर्ट किया गया है, में निम्नानुसार अवअवधारित किया गया है:

"7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि अभियोजन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुरू किया गया था, इसलिए विवेचना पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी। उनका तर्क है कि उक्त अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों की कोई भी विवेचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नियम 1995 के रूप में जाने जाने वाले नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। ये नियम केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 23(1) के तहत अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। चूंकि अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य और लक्ष्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों को कम करना है, इसलिए इसमें कठोर दंड भी निर्धारित किया गया है। इसलिए, अधिनियम

के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए, नियमों का नियम 7 न केवल यह निर्धारित करता है कि विवेचना पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि ऐसे अधिकारी को अधिनियम के तहत अपराधों की विवेचना के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए। यह आगे निर्धारित करता है कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करते समय सरकार को उनके पिछले अनुभव, योग्यता की समझ और न्याय तथा प्रकरण के निहितार्थों को समझने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। नियमों के नियम 7 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी पुलिस उपाधीक्षक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों की विवेचना नहीं कर सकते हैं। केवल वे अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के नहीं हैं और जिन्हें राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक या पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया है, वे ही अधिनियम के तहत प्रकरणों की विवेचना के लिए सक्षम हैं। नियुक्ति का यह आदेश विशिष्ट या सामान्य हो सकता है।"

"8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान प्रकरण की विवेचना पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा की गई थी न कि नियम 7 के तहत परिकल्पित अधिकारी द्वारा। चूंकि विवेचना स्वयं एक ऐसे अधिकारी द्वारा की गई थी जो कानून में विवेचना करने के लिए अधिकृत नहीं था, इसलिए पूरा विचारण दूषित हो गया है। 'एन. रामू बनाम पुलिस अधीक्षक विल्लुपुरम' में रिपोर्ट किए गए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय में भी यही विचार व्यक्त किया गया है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए और तदनुसार अपास्त किया जाता है और अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिनियम के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'कैलास गोविंद वाडेकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य', 2010 Cr.L.J. 2752 में रिपोर्ट किए गए प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

"4. इस प्रकरण में, अत्याचार अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। प्रथम, अपीलार्थियों के वकील श्री तामके ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में विवेचना पी.एस.आई. (उप-निरीक्षक) द्वारा की गई है, जबकि इसे पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के पद के व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए था। मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 7 का उल्लेख कर सकता हूँ, जो यह निर्धारित करता है कि जब उक्त अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है, तो विवेचना पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। इस न्यायालय ने 'आसिफ खान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य', 2006 All MR (Cri.) 796 और 'उत्तमलाल येमा बनाम महाराष्ट्र राज्य', 2006 All MR (Cri)

1015 में यह अवधारित किया है कि कम पद के पुलिस अधिकारी द्वारा की गई विवेचना दूषित है। अत्याचार अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के आदेश का एक और कारण..."

उच्च न्यायालयों के उपर्युक्त विचारों की पुष्टि करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 'मध्य प्रदेश राज्य बनाम चुन्नीलाल @ चुन्नीलाल सिंह', 2009 AIR SCW 5335 के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"6. अपनी सक्षम शक्ति के आधार पर, यह राज्य सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह पुलिस जिलों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिसूचित पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रकरणों की विवेचना की शक्ति प्रदान करते हुए अधिसूचना जारी करे। नियमों के नियम 7 में विवेचना अधिकारी का पद पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का न होना निर्धारित किया गया है। उस पद से नीचे का अधिकारी विवेचना अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 9, नियमों के नियम 7 और संहिता की धारा 4 के प्रावधानों को जब संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है, तो यह एक अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि नियम 7 के तहत नियुक्त न किए गए अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध की विवेचना अवैध और अमान्य है। लेकिन जब शिकायत किए गए अपराध भारतीय दंड संहिता और अधिनियम की धारा 3 में वर्णित किसी भी अपराध दोनों के तहत हों, तो संहिता के प्रावधानों के अनुसार एक सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना को सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध की विवेचना न किए जाने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उपयुक्त न्यायालय में जारी रहेगी, इसके बावजूद कि विवेचना और आरोप पत्र केवल अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में संज्ञान लेने के लिए स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालयों के पूर्वोक्त विचारों की और पुष्टि करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 'पंजाब राज्य बनाम हरदयाल सिंह एवं अन्य', 2010 AIR SCW 2358 के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"5. जैसा कि अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही तर्क दिया गया है, आदेश बहुत भ्रमित करने वाला है। जो भी हो, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या नियम 7 के संदर्भ में विशेष रूप से अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा की गई विवेचना उन अपराधों के संबंध में अवैध है जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान से संबंधित नहीं हैं। हाल ही में, वर्तमान प्रकृति के विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा 'मध्य प्रदेश राज्य बनाम चुन्नीलाल @ चुन्नी सिंह' (आपराधिक अपील संख्या 943 वर्ष 2003) में दिनांक 15.4.2009 को किया गया था।"

'आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. विश्वनाडुला चेट्टी बाबू' के साथ 'आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मेकाला कुप्पम्मा एवं अन्य', 2011 AIR SCW 12 के प्रकरण में इसी तरह के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

"3. नियम के मात्र अवलोकन से यह पता चलता है कि राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक/पुलिस अधीक्षक, अनुभव आदि को ध्यान में रखने के बाद एक पुलिस उपाधीक्षक को उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रकरणों में विवेचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे। उप-नियम (3) आगे प्रावधान करता है कि सरकार के गृह सचिव और समाज कल्याण सचिव और अन्य प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तिमाही के अंत में पुलिस उपाधीक्षक के कार्य और उनके द्वारा की गई विवेचनाओं की समीक्षा करेंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि विवेचना करने का अधिकार पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के किसी निर्दिष्ट अधिकारी को नहीं दिया जाना चाहिए।"

"4. इसलिए, हमारी राय है कि नियमों के स्पष्ट जनादेश के अनुसार, केवल एक निर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक ही अधिनियम के तहत अपराध की विवेचना कर सकता था। उस पद से नीचे के अधिकारी द्वारा की गई विवेचना, जिसे नियम 7 के अनुसार निर्दिष्ट नहीं किया गया है, किसी भी ऐसे अपराध की विवेचना करने के लिए अधिकृत नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में विवेचना पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के पद के एक अधिकारी द्वारा की गई है। यह अनुमेय नहीं था। हम इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यद्यपि विवेचना अधिकारी पी.पी. सिंह-उप निरीक्षक का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है, अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवेचना उक्त पी.पी. सिंह द्वारा की गई है। इस प्रकार, इसमें कोई विवाद नहीं है कि विवेचना पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी और ऐसा होने पर इस निर्णय के पूर्ववर्ती कंडिका में उल्लिखित नियम, 1995 के नियम 7 का पूर्ण उल्लंघन है।

9. उक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी के पिछले अनुभव, योग्यता की समझ और प्रकरण के निहितार्थों को समझने की क्षमता आदि को ध्यान में रखने के बाद, उसे विशेष अधिनियम के तहत अपराध के लिए विवेचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे। नियम 7 का उप-नियम 2 आगे प्रावधान करता है कि उप-नियम (1) के तहत नियुक्त विवेचना अधिकारी तीस दिनों के भीतर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विवेचना पूरी करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो तुरंत उस रिपोर्ट को राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक को भेजेगा।

10. अतः, नियम, 1995 के नियम 7 के स्पष्ट जनादेश और ऊपर उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को देखते हुए, केवल पुलिस उपाधीक्षक ही इस विशेष अधिनियम के तहत अपराध की विवेचना करने के लिए सक्षम है। निर्विवाद रूप से, वर्तमान प्रकरण में, पूरी विवेचना पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा की गई है, जो कानूनी प्रावधान का घोर उल्लंघन है और पूरे विचारण को दूषित करता है।

11. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur